

पत्र सं०-3/एफ०-01-02/2024...../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-.....

विषय : मातृत्व/शिशु देख-भाल/उपार्जित एवं अन्य अवकाश की अवधि में मकान किराया भत्ता के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र सं०-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(i) में उपार्जित छुट्टी/शिशु देख-भाल छुट्टी में छुट्टी स्वीकृत किये जाने पर मूल वेतन, ग्रेड-पे, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियमावली 1980 की कंडिका-7'क'(i) में सभी प्रकार की छुट्टी मिलाकर 4 माह/120 दिन तक मकान किराया भत्ता निकासी करने का प्रावधान है।

उपर्युक्त अवधि से अधिक अवकाश में रहने की स्थिति में मकान किराया भत्ता की अनुमान्यता/भुगतान के संबंध में वित्त विभाग में परामर्श/दिशा-निर्देश हेतु पत्र एवं संचिकाएँ प्राप्त हो रही है।

सम्यक् विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि मकान किराया भत्ता नियमावली 1980 की कंडिका-7'क'(i) में विहित प्रावधान के क्रम में सभी प्रकार की छुट्टी के संदर्भ में 4 माह/120 दिन से अधिक अवधि तक अवकाश में रहने पर संबंधित सरकारी सेवक के पदस्थापित स्थल हेतु अनुमान्य मकान किराया भत्ता का दावा संलग्न अनुलग्नक के अनुरूप प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।



ज्ञापांक-3/एफ0-01-02/2024...../वि0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3/एफ0-01-02/2024...../वि0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3/एफ0-01-02/2024...../वि0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3/एफ0-01-02/2024...../वि0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3/एफ0-01-02/2024...../वि0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन) ।

28/5/2024

प्रमाण पत्र

जिस अवधि के लिए मकान किराया भत्ता का दावा किया गया है, उस अवधि में संबंधित सरकारी सेवक उसी स्थान पर अपना मकान बरकरार रखा।

“मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस अवधि के लिए मकान किराया भत्ता का दावा किया जा रहा है, उस अवधि में मैं उसी स्थान पर (चाहे इसकी अर्हक सीमा के अंतर्गत हो या पास-पड़ोस का क्षेत्र) मकान बरकरार रखा है, जहाँ से मैं छुट्टी पर गया/गयी हूँ।”

दिनांक :-

स्थान :-

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर :-

सरकारी सेवक का नाम :-

पदनाम :-